

प्रेस नोट दिनांक 11.10.2020

1. दिनांक 10.10.20 को वादी श्री मनीष यादव पुत्र श्रीराम यादव नि० एलआईसी के निकट बेनीगंज थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सतीष तिवारी नि० गंगौली दर्शननगर थाना को०अयोध्या अयोध्या रूपये की लेन देन की बात को लेकर अभि० द्वारा वादी को जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 732/20 धारा 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 10.10.20 को वादी उ०नि० श्री दिवाकर यादव थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रणजीत कुमार उर्फ लल्लू पुत्र रामनाथ नि० असरफपुर बरवा थाना अहिरौली अम्बेडकरनगर गिर० अभियक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 1100 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 442/20 व 443/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 10.10.20 को वादी श्री चन्द्रिका प्रसाद नि० रजपलिया थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एस 0593 मो०सा० का चालक दीपक पाण्डेय पुत्र दीनानाथ उर्फ झब्बू पाण्डेय नि० गोपियापुर सरैया थाना गोसाईगंज अयोध्या अभि० द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर कर वादी के भतीजे को टक्कर मार देना जिससे पैर टूट जाना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 444/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 10.10.20 को वादी श्री जगमोहन पुत्र गजाधर यादव नि० इच्छा का पुरवा मजरे चकौर थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात ट्रक का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की माता को टक्कर मार देना जिससे मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 438/20 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 10.10.20 को वादी श्री परवेज पुत्र जलील नि० मया भीखी थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पीर अहमद पुत्र मूसे नि० मयाभीखी थाना महाराजगंज अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी के पिता को अनायास ही लाठी डण्डे से मारना पीटना तथा गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 433/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।